

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

3- आयुक्त,
राहत एवं आपदा,
उ०प्र०, बापू भवन, लखनऊ।

5- प्रमुख सम्पादक,
जिला गजेटियर,
उ०प्र०, लखनऊ।

2- आयुक्त,
चकबन्दी, उ०प्र०,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

4- निदेशक,
भू अध्ययन,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 02 मई, 2017

विषय- "स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम" के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु डी०डी०ओ० तथा कार्मिकों का समयबद्ध रूप से पंजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम" के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों को, असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष कार्यालय/ मुख्यालय के आहरण-वितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) तथा मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का पंजीकरण 10 मई, 2017 तक सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ मण्डल स्तरीय एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात समस्त कर्मचारियों तथा आहरण-वितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) का पंजीकरण, अभियान चलाकर दिनांक 20 मई, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा मण्डल/जनपद स्तरीय कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रगति से साप्ताहिक तौर पर विभागाध्यक्ष को अवगत कराया जाय।

3- पूर्व में निर्गत शासन के पत्र संख्या-2/2017/282/एक-3-2017, दिनांक 15 फरवरी, 2017 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को निर्देशित किया गया था कि निर्धारित प्रारूप पर प्रश्नगत योजना से संबंधित मासिक प्रगति संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, किन्तु संकलित मासिक प्रगति आख्या नियत प्रारूप में उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। अतः भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संकलित प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-616(1)/एक-3-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि आहरण-वितरण अधिकारी, राजस्व लेखा अनुभाग, 30प्र0 शासन को इस अनुरोध से प्रेषित कि यदि आपके द्वारा प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित अपना पंजीकरण अभी तक न कराया गया हो, तो दिनांक 03 मई,2017 तक अवश्य करा लिया जाय तथा राजस्व विभाग (शासन स्तर पर) में अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों का पंजीकरण दिनांक 10 मई,2017 तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)

विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।